4558

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

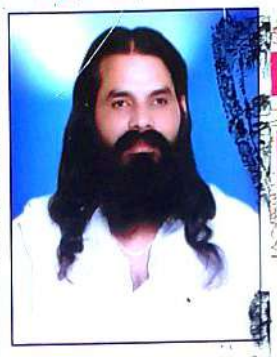

INDIA NON JUDICIAL

F 161604

हरियाणा HARYANA

न्यास पत्र

ओ३म योग संस्थान – न्यास (ट्रस्ट)

स्टाम्प – (100) सौ रूपये (100x1)

कंवर ओंमकार सिंह, स्टाम्प विक्रेता, तहसील कम्पाउन्ड, सैक्टर–12, फरीदाबाद

स्टाम्प क्रमांक ...12880...

दिनांक 24/6/2010

मैं, योगिराज ओ३मप्रकाश महाराज सुपुत्र श्री स्व0 रामस्वरूप, निवासी–ओ३म् योग संस्थान, ग्राम–पाली, फरीदाबाद, (हरियाणा) परमात्मा की अनुकम्पा, गुरूजनों, पितृजनों के आशीर्वाद से प्रस्तावित न्यास (ट्रस्ट) **"ओ३म् योग संस्थान"** ग्राम–पाली, जिला–फरीदाबाद, (हरियाणा) की स्थापना हेतु आज दिनांक 24/6/2010 को विविध कार्यक्रमों से विभिन्न लोगों द्वारा श्रद्धा भक्ति व दान, भेंट आदि से प्राप्त कुल राशि रू0 11,000/– (रूपये ग्यारह हजार मात्र) प्रदान कर आगे दिये गये उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास का निर्माण कर न्यास के न्यास मंडल को उक्त सम्पत्ति का सम्पूर्ण अधिकार प्रदान करता हूँ।

100/-

12880
24-6-10

प्रलेख न: 4558

दिनॉंक 24/06/2010

डीड सबंधी विवरण	
डीड का नाम	TRUST
तहसील/सब-तहसील	फरीदाबाद
गांव/शहर	पाली

धन सबंधी विवरण	
	स्टाम्प ड्यूटी की राशि 100.00 रुपये
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 50.00 रुपये	पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये
रूपये	

Drafted By: Self

यह प्रलेख आज दिनॉंक 24/06/2010 दिन गुरूवार समय बजे श्री/श्रीमती/कुमारी Om Yog Sansthan पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी Ram Sawrup निवासी Pali द्वारा पॅंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

Joint Sub Registrar
उप / सयुंक्त पंजीयन अधिकारी
फरीदाबाद

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

श्री Om Yog Sansthan thru Yogi Raj Om Prakash Settlor(OTHER)

उपरोक्त न्यासकर्ता व श्री/श्रीमती/कुमारी Anil Bansal etc न्यासी हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यो को दोनो पक्षो ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनो पक्षो की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी M K Gaur पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री adv निवासी Distt court fbd व श्री/श्रीमती/कुमारी C.S.Sharma पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी adv निवासी Distt court fbd ने की।
साक्षी न: 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी न: 2 की पहचान करता है।

दिनॉंक 24/06/2010

Joint Sub Registrar
उप / सयुंक्त पंजीयन अधिकारी
फरीदाबाद 24/6/10

Revenue Department Haryana

HARIS -EX

NIC-HSU

C. S. SHARMA
ADVOCATE
Distt. Court, Faridabad

...UR
...ate
Faridabad
Attached
Distt. C...
On V...

जिससे कि प्राचीन ऋषियों की धरोहर योग, आयुर्वेद के चिकित्सा व अनुसंधान से असाध्य रोगों से मुक्ति, अनागत रोगो से बचाव का मार्ग प्रशस्त हो। सम्पूर्ण समाज में नई जागृति हो। व्यक्ति के अन्दर की विपुल शक्ति का जागरण कर धर्म, जाति मत, पंथ व सम्प्रदाय आदि संकीर्णताओं में बंटे समाज को एक सूत्र में पिरोया जा सके। गरीब, असहाय लोगो, महिलाओं, बच्चों से वृद्ध लोगो तक सबको आवास, भोजन व चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो, पर्यावरण प्रदूषण व मांसाहार, तम्बाकू सेवन आदि से खोखला होता तन व राष्ट्रवाद, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, राष्ट्रहित व संस्कृति के उदात्तपक्षों की पुर्नस्थापना कर भारत को विश्वगुरू के पद पर प्रतिष्ठापित किया जा सके। उन पवित्र मान्यताओं व संकल्प को लेकर मैं आज ओ३म् योग संस्थान (न्यास) की स्थापना के लिए संकल्पित होता हूँ। न्यास का नाम, पता, कार्यक्षेत्र व उदेद्श्य तथा नियम निम्न हैं।

न्यास का नाम	–	**ओ३म योग संस्थान – न्यास (ट्रस्ट)**
न्यास का पता	–	**ग्राम–पाली, फरीदाबाद, (हरियाणा), भारत**
न्यास का कार्यक्षेत्र	–	**भारत व विदेश (सम्पूर्ण विश्व)**

1. ट्रस्ट/न्यास के मुख्य उद्देश्यों एवं कार्यो का विस्तृत विवरण

1.1 योग प्रशिक्षण एवं राष्ट्रधर्म, स्वदेश प्रेम व स्वदेशी खानपान, आहार शुचिता, जड़ी–बूटी व आयुर्वेद के संरक्षण, संवर्धन व अनुसंधान तथा भारतीय संस्कृति के संरक्षण व स्वस्थ विश्व के निर्माण हेतु सम्पूर्ण विश्व मे योग व आयुर्वेद आदि शिविरों का आयोजन करना व प्रचार प्रसार गोष्ठी व सम्मेलन व सभाओं का आयोजन करना व कराना तथा इस अभियान को जन–जन तक पहुँचाने के लिए विश्व स्तर पर न्यास शाखाओं का निर्माण व संचालन करना। उपरोक्त क्षेत्र मे चल रही पंजीकृत/अपंजीकृत समितियों को अपने अन्तर्गत लेना, देखभाल करना, मार्गदर्शन एवं नियन्त्रण करना, अपने साथ संलग्न कराना।

1.2 मनुष्य मात्र के समस्त दुखों की अत्यन्त निवृत्ति, शारीरिक निरोगता, मानसिक शान्ति एवं परमानन्द की प्राप्ति हेतु ऋषि–मुनियों से प्राप्त अष्टांगयोग, राजयोग, ध्यानयोग, हठयोग, आसन व प्राणायाम आदि का व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षण देकर, योग का मन व शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के द्वारा प्रतिष्ठापित करने

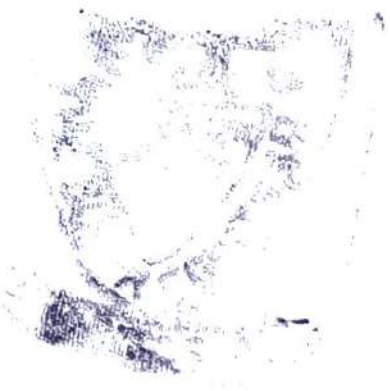

के लिए सर्वविध प्रयत्न करना, सभी तरह व चिकित्सकीय व औषधीय परीक्षण, अनुसंधान, योग व आयुर्वेद चिकित्सा द्वारा रोगमुक्त स्वस्थ समाज व समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करना।

1.3 असहाय गरीब, उपेक्षित, दीन्–हीन् जनता एवं आदिवासी क्षेत्रों में निःशुल्क औषधी और, वस्त्र, खाद्य सामग्री आदि का वितरण करना व विशेष चिकित्सा हेतु निःशुल्क या धर्मार्थ औषधालयों व चिकित्सालयों की स्थापना करना तथा यथासम्भव उनमें आधुनिक चिकित्सा साधनों की पूर्ण उपलब्धि कराना।

1.4 समस्त साध्य एवं असाध्य मानसिक रोगों का योग चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा रैकी व संगीत, पंचकर्म चिकित्सा, आयुर्वेद व होम्योपेथी चिकित्सा आदि नैसर्गिक व विशेषकर प्राचीन विधाओं पर आश्रित चिकित्सा विधा से उपचार कर दुखित मानव समाज को सर्वाधिक सुख पहुँचाने के लिए चिकित्सा व सम्पूर्ण आधुनिक संसाधनों से युक्त परीक्षणशाला एवं अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन व बढ़ावा देना।

1.5 निःशुल्क तथा धर्मार्थ औषधालयों, चिकित्सालयों, विद्यालयों एवं न्यास के सामाजिक व यौगिक कार्यो, योग, आयुर्वेद के अनुसंधान तथा संस्थागत अन्य सामाजिक गतिविधियों की पूर्ति व संचालन एवं जनसेवा के अन्य कार्यो को गति देने के लिए सम्पूर्ण संसाधनो से युक्त फार्मेसी स्थापित कर आयुर्वेद की औषधियों का निर्माण, क्रय–विक्रय करना, संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बैंक आदि सरकारी संस्था से ऋण, उधार लेना तथा अनुसंधान के कार्यो के लिये विशालतम प्रयोगशाला आदि का निर्माण करना।

1.6 विविध जड़ी–बूटियों को उगाना, श्रेणी से विविध प्रजाति में उनका संग्रह, संवर्द्धन, संरक्षण करना उसके लिए विविध तरह से औषधि उद्यान, बाग–बगीचे, ग्रीन हाउस आदि बनाना। जड़ी–बूटी के संवर्द्धन को प्रोत्साहन हेतु सहकारी संस्था आदि अन्य साधनों एवं संस्थाओं आदि का निर्माण कर किसानों के द्वारा जड़ी–बूटियों को रोपण कर, उनसे उन जड़ी–बूटियों को क्रय करके गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रोजगार तथा उसके वित्तीय संसाधनों को बढ़ावा व शुद्ध औषधियों के निर्माण हेतु उनका क्रय–विक्रय करना।

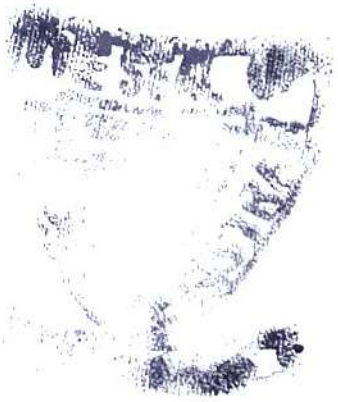

1.7 विभिन्न विभागों या विषयों के अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करना। यथा–उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान कार्य करने एवं बढावा देने व किसी भी विभाग में जैसे– अभियान्त्रिकी, तकनीकी, इलैक्ट्रोथेरेपी, विकिरण, बैक्टीरियोलॉजी, आयुर्विज्ञान, योग, ध्यान एवं दूसरे सम्बन्धित क्षेत्रों जैसे बागवानी, खेती या दूसरे विभाग या नवीनतम विज्ञान के प्रसार हेतु शैक्षणिक व वैज्ञानिक संस्थान, अनुसंधान संस्थान, विद्यालय, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय (चाहे वह वर्तमान हैं या बाद में स्थापित किये जा सके।) स्थापित व संचालित करना।

1.8 चरित्र निर्माण, नैतिक उत्थान एवं संस्कृति के परिज्ञान, राष्ट्र स्वाभिमान के जागरण एवं समाज में समरसता व विश्व कल्याण की भावना से वेद, गीता, दर्शन, उपनिषद, व्याकरण एवं यौगिक ग्रन्थों के अध्ययन–अध्यापन की व्यवस्था करना तथा साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक व वार्षिक योग, आयुर्वेद व एक्यूप्रेशर का प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षणार्थी को प्रमाणपत्र देना व पुरस्कृत करना, व्यवसायिक व जीवन निर्वाहन की दृष्टि से भी उनको सक्षम कर स्वस्थ व समृद्ध राष्ट्र के निर्माण से सहयोग करना। भारतीय आध्यात्मिक उदात्तता को विश्व में स्थापित करने के लिए विद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं आदि की स्थापना, निर्माण व संचालित करना।

1.9 समाज में व्याप्त विद्वेष, घृणा, कुरीतियों, अश्लीलता, चरित्रहीनता, अन्याय तथा अत्याचार की समाप्ति व धरती पर स्वर्ग के अवतरण हेतु साम्प्रदायिक भेदभाव, जाति–भेद व रंग भेद आदि से ऊपर उठकर देश–विदेश में नहीं सम्पूर्ण विश्व में योग, आयुर्वेद व राष्ट्रभक्ति, स्वदेश प्रेम का प्रचार करने वाले मिशनरियों को तैयार करना तथा प्रचार हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना।

1.10 सम्पूर्ण भारतवासियों में विशेषकर अध्यापकों, विद्यार्थियों एवं युवक–युवतियों में भारतीय जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठापना कर प्रखर राष्ट्रीय भावना एवं नैतिक उत्थान हेतु व्यक्तित्व विकास शिविर प्रदर्शनी, देश दर्शन यात्रा, महापुरूषों की जयन्तियाँ आदि विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना।

1.11 विभिन्न मासिक, पाक्षिक, त्रैमासिक व वार्षिक पत्र–पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन व राष्ट्रवाद आध्यात्म, योग आयुर्वेद के अनुसंधानात्मक उच्चस्तरीय लेखों व पुस्तक आदि का लेखन व प्रकाशन आदि अनुसंधानों को जनसामान्य तक

पहुँचाने के लिए वैदिक प्राचीन साहित्य व अर्वाचीन अनुसंधानात्मक तथा अन्य पुस्तक, पत्रिकाओं का प्रकाशन, पुनर्मुद्रण, ज्ञान लेखन, संग्रहण व उनके प्रचार की पूर्ण व्यवस्था व मुद्रण आदि की व्यवस्था करना। मुद्रण यन्त्र आदि स्थापित करना।

1.12 ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रो में, महिलाओं व 12 वर्ष तक के बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षण संस्थान खोलना। ग्रामीण क्षेत्रों व ऐसे कस्बो में जहाँ जनसंख्या 5 लाख से नीचे हो वहां पर चिकित्सा व अभियात्रिंक क्षेत्रो के लिये शिक्षा संस्थानों को खोलना, ऐसे क्षेत्रों में काम धन्धे चलाने की शिक्षण व प्रशिक्षण के लिये शिक्षण संस्थान बनाना व चलाना। योग, आयुर्वेद के द्वारा चिकित्सकीय विद्या को विकसित कर व्यवहारिक रूप से उसको प्रतिस्थापित करने के लिए रोजगार परक तकनीकी शिक्षा के रूप में विकसित करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना।

1.13 निर्धन, असहाय, अनाथ व उपेक्षित योग्य विद्यार्थियों, बालक–बालिकाओं को वस्त्र, भोजन अध्ययन व आवास की सुविधाऐं उपलब्ध कराना तथा इसके लिये शिक्षा केन्द्रों का संचालन करना, योग्य व गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृति व अन्य पारितोषिक आदि द्वारा उनका सम्मान सहयोग व आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना।

1.14 ग्रामीण, पिछडे, आदिवासी या अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सकीय सेवा, परामर्श, परीक्षण व औषधी आदि के माध्यम से मोबाइल डिस्पेंसरी के द्वारा तथा चिकित्सकों के साथ सेवा प्रदान करना। न्यास की मोबाइल डिस्पेंसरी को अन्य संस्थाऐं भी प्रबंध व व्यवस्थानुसार बुलाकर यह सेवा प्राप्त कर सकेंगी व यह सेवा प्रदान कर सकती हैं। विशेषकर योग्य, शिक्षित बेरोजगार व असहाय लोगो को प्रशिक्षण देकर देश–विदेश में योग, जड़ी–बूटियों, आयुर्वेद आदि का प्रसार–प्रचार कर दवामुक्त स्वस्थ समाज के स्वप्न को साकार किया जा सके।

1.15 आधुनिक युग की भयंकर समस्या पर्यावरण प्रदूषण के निवारण हेतु वैज्ञानिक यज्ञों का अनुष्ठान एवं अग्निहोत्र पर अनुसंधान करना तथा आधुनिक संसाधनो के साधन द्वारा यज्ञ का प्रदूषण निवारण व रोग निवारण व शरीर में पड़ने वाले प्रभाव पर अनुसंधान करना तथा प्रचार–प्रसार करना।

1.16 राहत कार्यों जैसे बाढ़, भूकंप, महामारी, भुखमरी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि होने पर यथासामर्थ्य पूर्ण सहयोग करना। वहाँ संगठनात्मक रूप से वृहद् रचनात्मक कार्य करने के लिये व आर्थिक साधन व सम्पूर्ण चिकित्सकीय संसाधनों को यथासम्भव निःशुल्क उपलब्ध कराना।

1.17 दीन–हीन बर्बर हत्या की शिकार गौ माता के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु गौशालाओं की स्थापना व संचालन करना व उनमें सुधार व भारतीय गौ–पालन के लिये प्रोत्साहित करना तथा गौ–दुग्ध, दही, घृत, गौमूत्र व गोबर आदि की स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता व उस पर चिकित्सकीय अनुसंधान करना।

1.18 विवाह योग्य निर्धन, गरीब, अनाथ कन्याओं व युवकों का सामूहिक विवाह आदि का आयोजन व यथासम्भव उनके गृहस्थादि के लिए अन्य सहयोग करना। इस तरह का आयोजन करने वाली संस्थाओं का सहयोग लेना वा सहयोग देना।

1.19 शिक्षा व अन्य कलाओं (जैसे संगीत, नाट्य व नृत्य) के क्षेत्र में नई उपलब्धियों का भारतीय संस्कृति से समन्वय करते हुए शिक्षा के स्वरूप एवं प्रणाली का इस प्रकार विकास करना कि वह राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक व आध्यात्मिक आवश्यकता के अनुरूप हो तद्नुसार विद्यालय स्थापित करना। पूर्व में स्थापित ऐसी संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करना, सहयोग करना व सहयोग लेना।

1.20 रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग से बंजर होती भूमि व विविध प्रकार के बढ़ते रोग व बढ़ता प्रदूषण तथा बिगड़ते पर्यावरण की रक्षा के लिए गौमूत्र, नीमपत्र, तुलसी आदि जड़ी–बूटियों द्वारा कीटनाशक तैयार कर उस तकनीक को विकसित कर जनमानस में प्रचार–प्रसार करना तथा जैविक खाद को बनाने व उसको प्रोत्साहित करने के लिए जैविक खेती, कृषिकरण तथा वर्मी कम्पोज (केचुएं वाली खाद) व अन्य उपायों को विकसित व उसके लिए गहन अनुसंधान करना, उसको बढ़ावा देने के लिए किसानो में प्रचार–प्रसार करना व किसानो को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर उसको जैविक खाद व गैर पारम्परिक ऊर्जा आदि के लिए प्रोत्साहित व सहयोग करना।

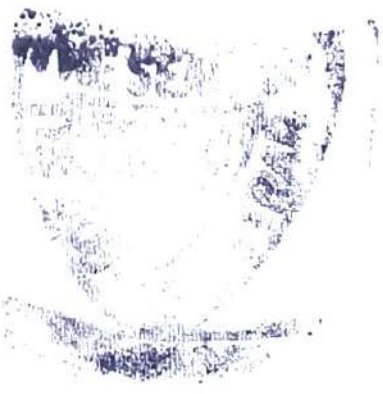

1.21 पुल, हाइवे, सड़क, ग्रामीण पहुँच वाली सड़क बनाना व जिन गाँवो में पहुँचने की सड़क व्यवस्था न हो वहाँ पक्की सड़क, खड़न्जा व यथासम्भव पहुँचने की व्यवस्था करना, यातायात व्यवस्था व सड़क दुर्घटना आदि को रोकने के लिये कार्यक्रम बनाना व दुर्घटना आदि से ग्रस्त व्यक्ति व लोगों के सहायतार्थ यथासम्भव आर्थिक सहायता, भोजन, वस्त्र व चिकित्सा सेवा व अन्य तरह का सहयोग पहुँचाना।

1.22 ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ साधन व संसाधनो की न्यूनता वाले एरियाओं को विशेषकर महिलाओं व छोटे बच्चों के लिये चिकित्सकीय व स्वास्थ्य योजनाओं को उपलब्ध कराना व उसका प्रचार तथा स्वास्थ्य के विषय में जागरूक करना व उनके अध्ययन आदि के लिये सहयोग कर विद्यालय आदि का निर्माण कर निःशुल्क शिक्षा व सुस्वास्थ्य के लिए प्रयत्न करना तथा वित्तीय रूप से पिछड़े हुऐ लोगों, अतिवृद्व महिलाओं व पुरूषों तथा विकलांगों के लिये आवासीय व्यवस्था व उनके रहने के लिऐ घर आदि बनाना तथा इलाज व अन्य व्यवस्था करना।

1.23 ग्रामीण क्षेत्रों, पिछड़ी बस्तियों में जहाँ पीने के पानी की व्यवस्था न हो, वहाँ पीने के पानी के लिए टयूबवैल, नल, पम्प सेट, पाईप लाईन, पानी की टंकी आदि का निर्माण व अनुरक्षण करना। पानी के सरंक्षण व अन्य उपायों पर अनुसंधान व जन जागरण अभियान चलाना।

1.24 राष्ट्रीय प्राकृतिक स्त्रोत, जल, जमीन की शुद्धता व उर्वरा को बढ़ाने के लिये आज की भयंकर समस्या पर्यावरण प्रदूषण के निवारण के लिए बंजर भूमि पर वृक्षारोपण करना, उसके संवर्धन व संरक्षण हेतु कार्य योजना बनाना। हरियाली व जड़ी–बूटियों को लगाना व उसके लिये लोगों को प्रोत्साहित करना, उस पर अनुसंधान करना व जनजागरण अभियान चलाना।

1.25 सम्पूर्ण मानवता के लिये विशेषतया असहाय, गरीब तथा बीमार व राष्ट्र की सीमा पर तैनात राष्ट्र के प्रहरी सैनिको आदि की आवश्यकतानुसार देश के विभिन्न स्थानों पर रक्त संग्रहण संस्थान (ब्लड बैंक) की स्थापना करना व निःशुल्क रक्त जाँच शिविर लगाना, रक्त उपलब्ध कराना व निःशुल्क रक्तदान के लिये समाज को प्रेरित करना।

1.26 गैर–पारम्परिक ऊर्जा, बायोगैस, सौर ऊर्जा, गोबर गैस के ऊपर अनुसंधान एवं उससे कार्य संपादन व प्रचार–प्रसार करना विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उसका प्रचार व गरीबों के सहायतार्थ व राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए उसका उपयोग व प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करना।

1.27 विभिन्न संचार माध्यमों (प्रिन्ट व इलैक्ट्रोनिक), टी.वी. के विभिन्न चैनलों, फोन, फैक्स, इंटरनेट, ई–मेल, पत्राचार आदि द्वारा योग साधना व योग प्रशिक्षण, चिकित्सा व उसको बढ़ाने व उनके प्रयोग के लिये प्रोत्साहित करना, राष्ट्र प्रेम, स्वदेशवाद व पारिवारिक व सामाजिक मर्यादाओं को बनाने व आहार–विचार शुद्धि व जनजागृति व स्वस्थ समृद्ध, निरोग, भ्रष्ट्राचार व रोगमुक्त भारत के स्वप्न को साकार करने के लिये पूर्ण प्रयत्न करना।

1.28 मूक प्राणी, समस्त पशु पक्षी (पालतु व जंगली), जानवरों की रक्षा के लिए उनके संवर्द्धन व चिकित्सा व प्रजनन प्रोत्साहन की योजना बनाना तथा प्याऊ, अभयारण्य उनके विचरण व विहरण के लिए कार्य योजना तैयार करना तथा उसके क्रियान्वयन हेतु सरकार व अन्य लोगों से तत्सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करना।

1.29 भारतीय पुरातत्व व प्राचीन परम्पराओं, पदार्थो (वस्तुओं) के संग्रहण व संरक्षण व उसको प्रोत्साहित करने के लिए पुरातत्व संग्रहालय, पुस्तकालय, वाचनालय आदि का निर्माण, प्रदर्शनी, मेला आदि का आयोजन व अन्य सभी कार्य जो इनकी सुरक्षा, अधिकार व राष्ट्रहित व संस्कृति रक्षा के लिए आवश्यक व उपयुक्त हो।

1.30 समाज के आर्थिक रूप से विपन्न, विभिन्न दैवीय आपदाओं से ग्रसित लोगों के लिये निःशुल्क लंगर भोजन व्यवस्था, आवासीय भवन निर्माण करना तथा निःशुल्क या कम मूल्य पर उनके साधनो के अनुसार उपलब्ध कराना तथा अन्य कोई कार्य जो समाज व राष्ट्र के हितों में हो उनको करना।

1.31 इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धन–सम्पत्ति, जमीन–जायदाद आदि पदार्थो का दान, उपहार आदि स्वीकार करना एवं समान उद्देश्यों वाली अन्य संस्थाओं का सहयोग करना तथा सहयोग लेना। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए

उद्देश्य सम्बन्धी व्यवसाय करना, जिसका लाभ न्यास के उद्देश्यों के कार्य में लगेगा तथा न्यास के उर्पयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धन का प्रबंध करना, जिससे वित्तीय संस्थान/बैंक का ऋण/ऋण–सुविधा प्राप्त करना और प्राप्त ऋण सुविधाओं को उक्त बैंक या वित्तीय संस्थाओं के नियमों अनुसार सुरक्षित रखने के लिए न्यास की चल व अचल सम्पत्तियों को बंधक रखना एवं सरकारी व गैर–सरकारी संगठन व संस्थाओं द्वारा उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वित्तीय संसाधन की प्राप्ति के लिये सरकारी व गैर–सरकारी संस्थाओं, बैंक आदि से अनुदान/ऋण आदि प्राप्त करने का प्रयत्न करना।

2. न्यास की सम्पति, स्वामित्व व विनियोग

2.1 न्यास की पोषित कोई भी चल–अचल सम्पत्ति एवं न्यास के अन्तर्गत चलने वाली शाखा के लिए प्राप्त की गयी चल–अचल सम्पत्ति का स्वामित्व, मुख्य न्यास का ही होगा तथा न्यास की उक्त सम्पत्ति का उपयोग न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समय–समय पर आवश्यकता पडने पर न्यास हित में उक्त सम्पत्ति के क्रय–विक्रय तथा बंधक रखने का अधिकार न्यासी मंडल को सर्वसम्मति से होगा।

2.2 न्यास के उद्देश्यों के पूर्ति के लिये मुख्य कार्यालय को छोड़कर, शाखाओं की चल–अचल सम्पत्ति व्यवस्थाओं हेतु स्थानीय प्रबन्ध कमेटी नियुक्त की जा सकती है। ऐसी कमेटी, इस मुख्य न्यास के अधीन रहेगी तथा न्यासी मंडल के प्रति उत्तरदायी होगी। न्यासी मंडल का निर्णय ही सर्वमान्य होगा।

2.3 न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यासी मंडल द्वारा आवश्यकता व समयानुसार किसी भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संस्था या सम्पूर्ण देश, विदेश में कहीं भी किसी भी संस्था/न्यास आदि से दान, चंदा, उपहार, चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना, बैंक व वित्तीय एजेन्सी से ऋण/उधार तथा संस्था के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु किसी भी चल, अचल सम्पत्ति को दीर्घावधि पट्टे पर देना या लेना।

2.4 न्यासी मंडल, न्यास के क्रिया कलापों में वृद्धि करने के लिए जो शाखा, संलग्न संस्थाएं व प्रबन्ध समिति बनाई जायेगी, उनका नीति निर्धारण/निर्देशन करने का पूर्ण अधिकार न्यासी मंडल पर रहेगा।

2.5 न्यासी मंडल जब चाहे प्रबन्ध कमेटी में वांछनीय उचित परिवर्तन कर सकता हैं। इन सभी को मुख्य न्यास के नियम, अनुशासन एवं मर्यादाओं का पालन करना होगा।

2.6 न्यास किसी भी शाखा पदाधिकारी की नियुक्ति, निष्कासन, सेवा समिति आदि जो भी व्यक्ति की सेवायोजन या सेवा विच्छेदन का कार्य हो वह मुख्य न्यास के आदेश से स्थानीय न्यास की शाखा करेगी। किसी तरह की विवाद आदि की स्थिति में न्यासी मंडल का निर्णय ही सर्वमान्य होगा।

2.7 न्यास की शाखा अपना हिसाब किताब स्थानीय स्तर पर रखेगी तथा अपनी समस्त त्रैमासिक लेखा सम्बन्धी जानकारी मुख्य कार्यालय को प्रेषित करेगी।

2.8 न्यास के धन का विनियोग आयकर अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

3 न्यास की सदस्यता के प्रकार एवं पात्रता

3.1 क. न्यासी मंडल।

ख. न्यास के अन्तर्गत संचालित शाखाओं के प्रबन्धन की कार्यकारिणी।

ग. न्यास से संलग्न संस्थाएं व न्यास।

3.2 क. पात्रता चाहने वाला व्यक्ति धूम्रपान एवं शराब आदि कुव्यसनों से रहित, चरित्रवान होना चाहिए।

ख. सदस्यता चाहने का इच्छुक व्यक्ति न्यास के नियम व उद्देश्यों के प्रति समर्पित हो।

ग. न्यास की उन्नति एवं उसके मुख्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु यथासंभव आर्थिक व अन्य सभी प्रकार से सहयोग करने का इच्छुक हो तथा न्यास के मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्वयं सहयोग एवं उसके नियमानुसार आचरण करते हुए जनसामान्य में उसका प्रचार–प्रसार व उसकी पूर्ति के लिए आर्थिक व अन्य सभी प्रकार के सहयोग व सहायता के लिए प्रेरित करने का पूर्ण इच्छुक हो।

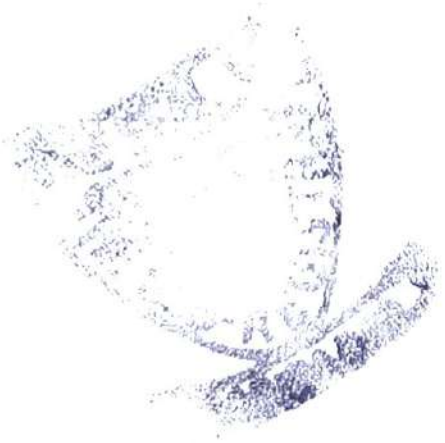

4.8 न्यास के न्यास मंडल को यह पूरा अधिकार होगा कि समय समय पर ऐसे नियम, उपनियम या धाराओं को बनाये और लागू करे जो इस न्यास के स्पष्ट निर्देशकों के विरूद्ध न हों जिन्हें विभिन्न विभागों के प्रशासन और प्रबन्ध की सुविधा के लिये उचित समझते हों, जिनका सम्बन्ध न्यासी मंडल की गतिविधियों, कार्यो से हो, जो उपसमितियों की नियुक्ति के लिए हो और जो न्यास की सम्पत्ति के प्रबन्ध और प्रशासन के लिए सामान्य रूप से लागू हो। उपरोक्त सभी या किसी विषयों के हेतु न्यासी मंडल अपनी बैठक में समयानुसार नियम, उपनियम, धाराओं आदि की समाप्ति, परिवर्तन, संशोधन, परिवर्धन, नवनिर्माण या अन्य आवश्यक प्रस्ताव पारित कर सकता है।

4.9 न्यास की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होना न्यासी के लिये अनिवार्य होगा, यदि किसी विशेष परिस्थिति में वह उपस्थित नही हो पाता है तो उसकी पूर्व सूचना महामंत्री को देनी होगी।

4.10 किसी भी न्यासी/शाखा प्रबन्धक के पास न्यास की कोई सम्पत्ति है और यदि उस सम्पत्ति में कोई गड़बड़ी होती है या उसकी चोरी आदि हो जाती है तो उसका दायित्व उस न्यासी/शाखा प्रबन्धक पर होगा। ऐसी परिस्थितियां अपवाद होगी जो उसके नियन्त्रण से बाहर हो।

4.11 न्यासी मंडल को शाखाओं के द्वारा प्रबन्ध के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश तय करने व लागू करने का अधिकार होगा। बेहतर समन्वय व शाखाओं के प्रबन्धन के लिए आवश्यकतानुसार नियम, उपनियम को बनाना, संशोधन, परिवर्तन समाप्ति आदि करने का अधिकार न्यासी मंडल के पास रहेगा।

4.12 न्यास के प्रति कोई भी व्यक्ति, जो पूर्ण रूपेण निष्ठायुक्त समर्पण भाव से जीवन दान करेगा तथा न्यास के प्रति ईमानदार रहते हुए, उसके उत्कर्ष के लिए कार्य व प्रयास करेगा, वह न्यास में स्वागत योग्य है तथा ऐसे जीवन दानी व्यक्ति के रहन–सहन, भोजन, वस्त्र व वाहन इत्यादि की सुविधाओं के साथ जीवन निर्वाह का सम्पूर्ण दायित्व न्यास का होगा।

5 न्यासी मंडल का गठन

5.1 इस न्यास के प्रबन्धन हेतु एक न्यासी मंडल का गठन किया जायेगा, इस न्यास का अध्यक्ष न्यासी मंडल के प्रधान के रूप में कार्य करेगा। न्यास में वर्तमान में आठ न्यासी अध्यक्ष सहित होगें। इस न्यास मंडल में से ही अध्यक्ष द्वारा संरक्षक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महांमत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष तथा उप–कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी, न्यास के समस्त अधिकारी व सदस्य अवैतनिक होंगे। वर्तमान में इस न्यास के निम्न न्यासी होंगे।

क्र.	नाम व पिता का नाम	पता	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री अनिल बंसल सुपुत्र श्री सुगन चन्द	मकान नं0 53, सैक्टर–15, फरीदाबाद (हरियाणा)	सरंक्षक	
2	श्रद्धेय योगिराज ओ३मप्रकाश महाराज सुपुत्र श्री रामस्वरूप	ओ३म् योग संस्थान, ग्राम–पाली, फरीदाबाद (हरियाणा)	संस्थापक व अध्यक्ष	
3	श्री योगराज अरोड़ा सुपुत्र श्री आत्म प्रकाश	19, वेस्टर्न एवेन्यु, सैनिक फार्मस, खानपुर, नई दिल्ली	वरिष्ठ– उपाध्यक्ष	
4	श्री सूर्यदेव त्यागी सुपुत्र श्री ऋषिराम	म. नं. 5, गली नं. 2 जवाहर कॉलोनी, फरीदाबाद (हरियाणा)	उपाध्यक्ष	
5	श्री सन्दीप आर्य सुपुत्र श्री दिगम्बर सिंह	848/1, नंगला रोड़, जवाहर कॉलोनी-B, फरीदाबाद (हरियाणा)	महामंत्री	
6	श्री सतवीर आर्य सुपुत्र श्री रामस्वरूप	3653, गली नं0 3, जवाहर कॉलोनी, फरीदाबाद (हरियाणा)	मंत्री	
7	ब्र0 ऋषिपाल शिष्य श्रद्धेय योगिराज ओ३मप्रकाश महाराज	ओ३म् योग संस्थान, ग्राम–पाली, फरीदाबाद (हरियाणा)	कोषाध्यक्ष	
8	श्रीमती मनोरमा याज्ञिक धर्मपत्नी श्री मलय याज्ञिक	ओ३म् योग संस्थान, ग्राम–पाली, फरीदाबाद (हरियाणा)	उप– कोषाध्यक्ष	

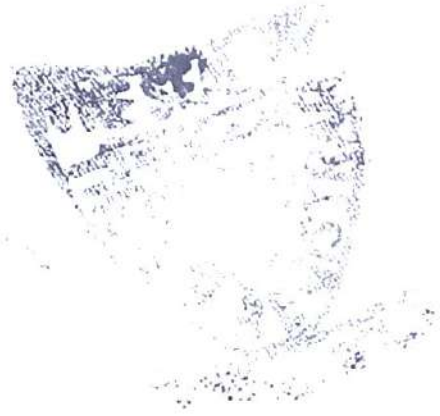

6. न्यासी पद की रिक्तता

6.1 न्यास की समाप्ति के कारण।

6.2 अदालत द्वारा, जिसके समक्ष न्यास सम्बन्धित अधिनियम के अन्तर्गत पदोन्मुक्ति के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर, न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में दण्डित होने पर।

6.3 मानसिक रूप से अस्वस्थ या पागल होने पर या मृत्यु हो जाने पर।

6.4 न्यास के हितों व नियमों के विपरीत आचरण करने पर, न्यासी मंडल में बहुमत के आधार पर सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

6.5 स्वयं त्यागपत्र देने पर तथा न्यासी मण्डल द्वारा स्वीकार किये जाने पर।

6.6 न्यास के कार्य में अरूचि होने पर या किसी भी तरह से न्यास का सहयोग व सेवाकार्यो में सहभागी न होने पर।

6.7 न्यास के विरूद्ध किसी भी तरह की गुटबन्दी व राजनीति आदि करने व न्यास के उद्देश्यों को नुकसान पहुँचाने पर न्यास की सदस्यता, बहुमत से तुरन्त समाप्त की जा सकेगी।

6.8 न्यास की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने, न्यास की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने, दुरूपयोग या गबन करने पर।

6.9 लगातार 4 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।

7. अध्यक्ष की पात्रता

7.1 न्यास का अध्यक्ष गुरू परम्परा से त्यागी, तपस्वी व वैदिक साहित्य का विद्वान, सेवाभावी, साधक ही होगा।

7.2 न्यास के वर्तमान अध्यक्ष योगिराज ओ३मप्रकाश महाराज न्यास के आजीवन अध्यक्ष होंगे।

8. अध्यक्ष के अधिकार

8.1 न्यास के मुख्य अधिकारी अध्यक्ष होंगे। उनके द्वारा संस्थापित मर्यादाओं एवं अनुशासन का पालन न्यासीमंडल व अन्य सभी शाखा प्रबन्धकों, संलग्न संस्थाओं व स्थानीय प्रबन्ध समितियों को करना होगा। न्यास के पदाधिकारियों संरक्षक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महांमत्री, मंत्री तथा कोषाध्यक्ष व उप–कोषाध्यक्ष की नियुक्ति करना।

8.2 न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति व पूर्ति हेतु धन का प्रबंध करना।

8.3 न्यास के व्यवस्था विषयक, नीति विषयक, आर्थिक व भविष्य सम्बन्धी निर्णय लेना।

8.4 न्यास के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पक्षपात रहित होकर उचित व अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष को होगा।

9. अध्यक्ष के उत्तराधिकारी की पात्रता

9.1 न्यास का मुख्य उत्तराधिकारी गुरू परम्परा से त्यागी, तपस्वी, वैदिक साहित्य का विद्वान सेवाभावी, साधक व सर्वात्मना संस्था के प्रति समर्पित व निष्ठावान व्यक्ति ही होगा, जिसके चयन का अधिकार अध्यक्ष को होगा। अध्यक्ष के किसी कारणवश उत्तराधिकारी के चयन नही कर पाने पर अथवा अध्यक्ष के आकस्मिक निधन होने पर न्यासी सभा दो–तिहाई बहुमत से उपरोक्त गुणों से युक्त उत्तराधिकारी का चयन करेगी। बहुमत को बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या से देखा जायेगा।

10. वरिष्ठ उपाध्यक्ष

10.1 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष के सभी अधिकारों का उपयोग कर सकेगा, परन्तु न्यास में किसी स्थाई परिवर्तन लाने हेतु व विशेष निर्णय का प्रस्ताव कार्यकारिणी द्वारा तय किया जायेगा।

10.2 न्यास के सम्बन्धित आन्तरिक कार्यों की पैरवी करना।

10.3 न्यास के संचालन हेतु अन्य सदस्यों के साथ सर्वात्मना प्रयत्न करना।

11. उपाध्यक्ष

11.1 अध्यक्ष व वरिष्ठ उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, इनके सभी अधिकारों का उपयोग कर सकेगा, परन्तु न्यास में किसी स्थाई परिवर्तन लाने हेतु व विशेष निर्णय का प्रस्ताव कार्यकारिणी द्वारा तय किया जायेगा।

11.2 न्यास के सम्बन्धित आन्तरिक कार्यों की पैरवी करना।

11.3 न्यास के संचालन हेतु अन्य सदस्यों के साथ सर्वात्मना प्रयत्न करना।

12. महामंत्री

12.1 न्यास के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रचार व प्रसार की व्यवस्था करना।

12.2 अध्यक्ष की सहमति से न्यास के समस्त कार्यों का संचालन करना।

12.3 बैठक के समय, स्थान आदि की व्यवस्था करना तथा आय–व्यय का निरीक्षण करना।

12.4 न्यास से सम्बन्धित कोर्ट, सी.ए. (चार्टड एकाउण्टेन्ट) ऑडिट आदि के कार्यो का संपादन करना।

12.5 न्यास के अन्य शाखा व संलग्न संस्थाओं को देखना व सम्पूर्ण जिम्मेदारी का अधिकार महामंत्री को होगा। किसी तरह की कठिनाई आने पर अध्यक्ष उस कार्य में आवश्यकतानुसार सहयोग या अन्य सदस्यों को भी सहयोग के लिए नियुक्त करेंगे।

13 मंत्री

13.1 महामंत्री की अनुपस्थिति में, महामंत्री के सभी अधिकारों का उपयोग उनके प्रतिनिधि के रूप में कर सकेगा, परन्तु न्यास में किसी स्थाई परिवर्तन लाने हेतु व विशेष निर्णय का प्रस्ताव कार्यकारिणी द्वारा तय किया जायेगा।

14. कोषाध्यक्ष

14.1 न्यास के वित्तीय प्रबंध का लेखाजोखा करना एवं रखना।

14.2 न्यास की एक लाख रूपये से अधिक की राशि को तीन कार्य दिवस से अधिक समय तक बिना महामंत्री /अध्यक्ष की लिखित स्वीकृति के अपने पास नही रख सकेगा, उसको बैंक में जमा करवाना होगा।

15. उप–कोषाध्यक्ष

15.1 कोषाध्यक्ष का समस्त कार्यो में सहयोग व कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में समस्त कार्यों का निर्वाहन करना।

16. सरंक्षक

16.1 न्यास के समस्त कार्यों का निरीक्षण करना तथा न्यास के विकास हेतु मार्ग निर्देशन करना।

16.2 न्यास की आन्तरिक व्यवस्था को संभालना।

16.3 अन्य सेवा के कार्यों को गति देने के लिए सर्वदा उद्यत रहना।

17. न्यास/संचालित शाखाओं के प्रबन्धन समिति के सदस्यों के कर्त्तव्यों व अधिकार

17.1 न्यास के प्रत्येक शाखा के प्रबन्ध समिति की नियुक्तिमय प्रबन्धक व पदाधिकारी, न्यासी मंडल या न्यासी मंडल द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति की सहमति से ही स्थानीय भक्तों से विचार विमर्श करके 5 साल के लिए की जायेगी। परन्तु किसी भीं प्रकार की विवाद आदि की स्थिति में न्यासी मंडल या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति का निर्णय ही सर्वमान्य होगा।

17.2 प्रत्येक शाखा के कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या न्यूनतम पांच या अधिकतम ग्यारह हो सकती है। शाखा के पदाधिकारी अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष, उप–कोषाध्यक्ष व प्रबन्धक, होंगे, शेष सदस्य कार्यकारिणी के सदस्य होंगे। प्रबन्धक वैतनिक हो सकता है जो समिति के पदाधिकारियों से समन्वय करते हुए कर्त्तव्य निर्वाहन करेगा।

17.3 जब किसी भी सदस्य का, किसी भी कारण (मृत्यु, निष्कासन, स्वेच्छा से सेवा मुक्ति) से स्थान रिक्त होने पर स्थानीय सभी सदस्य मिलकर नये कार्यकारिणी के सदस्य को तय करेंगे, जिसका अनुमोदन न्यासी मंडल या अधिकृत व्यक्ति से कराना होगा। उपरोक्त कार्यकारिणी का नाम, पता आदि सम्पूर्ण जानकारी व कार्यवाही न्यासी मंडल को भेजी जायेगी, वहाँ से स्वीकृति के पश्चात् ही उपरोक्त शाखा कार्यकारिणी के अधिकार मान्य होंगे।

17.4 शाखा के संचालन में किसी भी तरह की गड़बड़ी या न्यूनता पाये जाने पर मुख्य न्यास सीधे अपने अधिकार में लेकर न्यास के मुख्य कार्यालय से ही उसका संचालन करेगा।

17.5 शाखा के जो पदाधिकारी होंगे उनके लिये आवश्यक होगा कि न्यास के जो भी आदेश/सूचना दी जाये या कर्त्तव्य व जिम्मेदारी सौंपी जाये उसका अक्षरशः पालन किया जाये। किसी तरह की कठिनाई या असमर्थता होने पर नियमानुसार मुख्य न्यास को उसकी सूचना दी जा सकती है व मार्ग निर्देशन लिया जा सकेगा।

17.6 न्यास का आवश्यकता ग्राम स्तर तक सभा या कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा। न्यास के सबसे लघु इकाई, उससे बड़े इकाई के अधीन रहकर ही कार्य करेंगे।

17.7 ग्राम/तहसील/जिला आदि स्तर के सम्पूर्ण कार्यकारिणी का गठन राज्य स्तर पर कार्यकारिणी नियुक्त कर उसके अधीन किया जायेगा। इसी तरह से सम्पूर्ण विश्व के दृष्टिगत आवश्यकता व सदस्यों की संख्यानुसार शाखा का संचालन कर सब को मुख्य न्यास के आधीन रहकर सेवा कार्य करना होगा परन्तु किसी देश का कोई कानून व्यवस्था आदि दृष्टि से कोई व्यवधान व अन्य परिस्थितियाँ बनने पर जो भी उचित होगा, न्यासी मंडल के द्वारा निर्धारित व बहुमत द्वारा जो भी निर्णय लिया जायेगा वह सर्वमान्य होगा।

17.8 किसी भी शाखा की चल–अचल व अन्य सम्पूर्ण सम्पत्ति, मुख्य न्यास की सम्पत्ति ही मानी जायेगी। न्यास आवश्यकता व नियमानुयार उसके प्रयोग व बिक्री आदि जो भी आवश्यक समझें कर सकेगा। संलग्न संस्थाएँ सभी

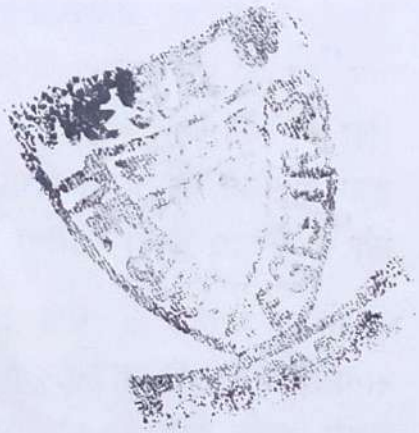

आवश्यक हिसाब–किताब रखेंगी व उसका ऑडिट कराके प्रेषित करेगी। ऐसी संलग्न संस्थाओं की चल–अचल सम्पत्ति पर अधिकार, उसी संस्था का होगा।

17.9 मुख्य न्यास से किसी भी संस्था को सम्बन्ध करने से पूर्व यदि उक्त संस्था का रजिस्ट्रेशन किसी भी नाम से हुआ हो तो ऐसी संस्थाएं आवेदन करने पर न्यास से संलग्न हो जायेगी तथा उन्हें बोर्ड में न्यास से संलग्नता के बारे में स्पष्ट लिखना होगा। इनकी सम्पत्तियों सें न्यास का कोई सम्बन्ध न होगा। न्यास से सम्बन्धित कार्यो के बारे में अलग से हिसाब रखना होगा तथा समय समय पर अपनी प्रगति के बारे में जानकारी देनी होगी तथा न्यास के हिसाब किताब से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होगा। न्यास द्वारा जारी सभी नियमों व निर्देशों को मानना होगा।

17.10 जिन स्थानों पर न्यास के शाखा के स्थान, भूमि, मकान आदि चल–अचल सम्पत्ति नहीं है वहाँ कार्यकारिणी का गठनकर कार्यकारिणी किसी भी पार्क/मैदान/धर्मशाला/आश्रम व अन्य भूमि या किसी के भवन आदि पर योग कक्षाओं व न्यास की अन्य गतिविधियाँ, जनजागरण, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, स्वदेश प्रेम आदि का कार्यकलाप का आयोजन नियमित व साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक रूप से भी कर सकेंगे, परन्तु इसकी सूचना मुख्य कार्यालय को प्रेषित करनी होगी।

17.11 संस्था का बैनर, पोस्टर, झण्डा आदि प्रतिकात्मक व प्रचारात्मक जो भी नियम व व्यवस्था मुख्य कार्यालय द्वारा निर्धारण किया जायेगा, वह समान रूप से सभी शाखा/संलग्न संस्थाएँ तथा सम्बन्धित कार्यकारिणी को मान्य होगा।

17.12 न्यास की स्वीकृति या आदेश के बिना, किसी भी गतिविधि के लिये, किसी भी तरह का शुल्क, दान, चन्दा, उपहार नही लेना होगा। आवश्यकता पड़ने पर जिस व्यक्ति या सदस्य को न्यास नियुक्त करेगा वही इस कार्य को करेंगे। इसके लिए लिखित अधिकृत पत्र निर्गमित किया जायेगा व सभी प्राप्त धनराशि की रसीद प्रदान की जायेगी।

17.13 विविध सेवा कार्यो के लिये विविध नामकरण जो भी मुख्य न्यास/संस्था द्वारा

आदेश होगा वही सर्वमान्य है जैसे– ओ३म योग परिवार, ओ३म योग विद्यालय, ओ३म योग फॉर्मेसी आदि जैसे गौशाला, विद्यालय प्रचार–प्रसार आदि के लिये योग, आयुर्वेद आदि जो भी उपयुक्त व आवश्यक व जरूरी होने पर, नाम, उपनाम युक्त न्यास व विविध शाखाओं का निर्माण करना या चलाना।

17.14 स्थानीय शाखा की कार्यकारिणी के लिये यह आवश्यक होगा कि सेवाकार्य हेतु वार्षिक बजट पर विचार करना तथा संस्था की प्रगति हेतु योजना तैयार करने में सहयोग कर योजना आदि को सुव्यस्थित रूप से कर, मुख्य कार्यालय में उसको सूचित करना होगा।

17.15 न्यास की उन्नति एवं उसके मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिये, स्वयं न्यास के नियमानुसार आचरण करते हुए, न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति एवं उसके उद्देश्यों को जनसामान्य में पहुँचाने व उसके प्रचार–प्रसार के लिये यथासम्भव व आर्थिक सहायता एवं अन्य सभी प्रकार का सहयोग करना एवं अन्यों को भी तदानुसार आचरण व सहायता देने के लिए प्रेरित करना।

17.16 स्थानीय शाखाओं की प्रत्येक तीन माह में मीटिंग/बैठक आदि का आयोजन करना, उसको व्यवस्थित रखने के लिये कार्यवृत्त पुस्तिका (मिनट बुक) आदि बनाना, सम्पूर्ण कार्यवाही को लिखकर उसको संरक्षित करना व आवश्यकता होने पर मुख्य कार्यालय को उपलब्ध कराना।

17.17 न्यासी मंडल द्वारा नियुक्त निरीक्षक नियमित रूप से शाखाओं व संलग्न संस्थाओं का रिकार्ड देखेंगे व निर्देशित करेंगे, जिससे मुख्य न्यास के द्वारा निश्चित की गयी योजना का पालन हो सके।

18. बैठक

18.1 वर्ष में न्यासी मंडल की कम से कम दो बैठक अनिवार्य होंगी।

18.2 बैठक की सूचना 15 दिन से एक मास पूर्व तक सभी सदस्यों को दी जायेगी परन्तु आपातकालीन बैठक 24 से 48 घंटे के समय में अध्यक्ष की सहमति से महामंत्री बुला सकता है।

18.3 बैठक की अध्यक्षता न्यास/संस्था का अध्यक्ष करेगा, उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में बैठक का संचालन वरिष्ठ उपाध्यक्ष या उपाध्क्ष करेगा और उसको अध्यक्ष के अधिकार प्राप्त होंगे।

18.4 बैठक का कोई भी निर्णय सर्वसम्मति से अथवा बहुमत से होगा परन्तु बराबर मत होने पर अध्यक्ष को एक निर्णायक वोट देने का अधिकार होगा।

18.5 बैठक में जो भी निर्णय होगा उसका लेखा जोखा रखा जायेगा, आवश्यकता होने पर निर्णय को प्रकाशित कर सभी सदस्यों में वितरित किया जायेगा।

18.6 कार्यकारिणी की बैठक में आवश्यकता व कार्यकारिणी के सहमति से अन्य शाखा के वरिष्ठ सदस्यों को भी उपस्थित होना होगा।

18.7 साधारण सभा में कार्यकारिणी के सदस्य व शाखा प्रबन्धक, शाखा के निर्देशित पदाधिकारी भाग ले सकेंगे।

18.8 विशेष मीटिंग के लिये अध्यक्ष तीन या चार सदस्यों का चयन कर बैठक बुला सकता है, उसमे किये गये निर्णय को बाद में सबके सामने पुष्टि हेतु रखा जायेगा।

18.9 साधारण सभा वर्ष में एक बार आयोजित की जायेगी। शाखा भी अपनी कार्यकारिणी में वर्ष में दो बार बैठक किया करेगी, जिसकी सूचना मुख्य न्यास कार्यालय को दी जायेगी। इसमे न्यास द्वारा निर्देशित व्यक्ति शाखा की बैठक में भाग लैगा।

19. कार्यवृत्त पुस्तिका

19.1 न्यास के महामंत्री द्वारा एक कार्यवृत्त पुस्तिका (मिनट बुक) रखी जायेगी। प्रत्येक नये न्यासी कार्यकारिणी का प्रवेश, न्यासी मंडल की बैठकों का कार्य विवरण, निर्णय आदि इस वृत्त पुस्तिका में लिखे जायेंगे। जिस पर सभी उपस्थित कार्यकारिणी सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। शाखाओं पर भी कार्यवृत्त पुस्तिका रखी जायेगी।

20. सामान्य

20.1 ऑडिट (लेखा परीक्षण) :– संस्था के नियमानुसार ऑडिट वर्ष में किसी सक्षम चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

20.2 आर्थिक् वर्ष :– संस्था का आर्थिक वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च होगा।

20.3 संस्था का चिन्ह :– संस्था के चिन्ह का निर्धारण सर्वसम्मति से किया जायेगा।

20.4 कानूनी कार्यवाही :– संस्था के सम्बन्धित मामलों व दावों की पैरवी, संरक्षक व अध्यक्ष की सहमति से महामंत्री करेगा।

20.4 विवाद की दशा में न्यायिक क्षेत्राधिकार :– चूंकि संस्था का रजिस्टर्ड कार्यालय फरीदाबाद (हरियाणा) में स्थित है अतः किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद में फरीदाबाद न्यायालय ही विवाद के निपटारे हेतु सक्षम न्यायालय माना जायेगा।

20.5 संशोधन :– संस्था के नियम आदि में कोई भी परिवर्तन, संशोधन सर्वसम्मति या बहुमत से किया जा सकेगा, निर्णय में अनिश्चितता होने पर अध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य होगा।

20.6 **ओ३म योग संस्थान–न्यास (ट्रस्ट)** जातिभेद, देशभेद, रंगभेद व साम्प्रदायिक आदि भेदभावों से ऊपर उठकर ''परस्पर देवो भवः'' विश्व बन्धुत्व व वसुधैव कुटुम्बकम् की पवित्र एवं आदर्श भावना के अनुरूप प्राणीमात्र के कल्याण के लिए कार्य करेगा परन्तु न्यास के अनुशासन व मर्यादाओं का पालन करना प्रत्येक जिज्ञासु को आवश्यक होगा। इस न्यास के नाम से कोई न्यास या न्यास का सदस्य या कोई भी अन्य व्यक्ति, व्यक्तिगत व्यवसाय व इस नाम से कोई भी व्यक्ति या न्यास, न्यास का निर्माण नही कर सकता।

20.7 बैंक का खाता :– खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकता है। जिसका संचालन अध्यक्ष, महामंत्री, व कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षरों के द्वारा होगा। अध्यक्ष के हस्ताक्षर हर स्थिति में अनिवार्य होंगे।

20.8 न्यास की प्रथम कार्यकारिणी में न्यासी मंडल के सदस्यों के पास निम्न दायित्व रहेंगे। प्रथम कार्यकारिणी की अवधि आजीवन होगी।

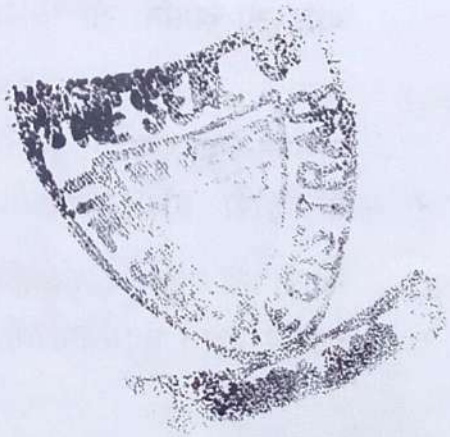

1.	संरक्षक	–	श्री अनिल बंसल
2.	संस्थापक अध्यक्ष	–	श्रद्धेय योगिराज ओ३मप्रकाश महाराज
3.	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	–	श्री योगराज अरोड़ा
4.	उपाध्यक्ष	–	श्री एस. डी. त्यागी
5.	महामंत्री	–	श्री सन्दीप आर्य
6.	मंत्री	–	श्री सतवीर आर्य
7.	कोषाध्यक्ष	–	ब्र0 ऋषिपाल
8.	उप–कोषाध्यक्ष	–	श्रीमती मनोरमा याज्ञिक

आवश्यकता होने पर ही उपरोक्त न्यासी मंडल अन्य न्यासियों की नियुक्ति कर सकेंगे।

21. न्यास का समापन

21.1 न्यास की समाप्ति या समापन न्यास के उद्देश्यों की पूर्णतया प्राप्ति या पूर्ति हो जाने अथवा जब न्यास का उद्देश्य अवैध हो जाये अथवा न्यास की सम्पति के विनाश के कारण या उसकी उद्देश्य पूर्ति असम्भव हो जाये अथवा जब न्यास विखंडनीय हो और स्पष्ट रूप से विखंडित कर दिया जाये ऐसी दशाओं में न्यास की समाप्ति या समापन हो जायेगा। ऐसी स्थिति में **ओ३म योग संस्थान–न्यास (ट्रस्ट)** की समस्त परिसम्पति (चल–अचल) समान उद्देश्यों वाले न्यास को चली जायेगी, जिसका निर्णय सर्वसम्मति से न्यासी मंडल करेगा।

मैं एतद् द्वारा साक्षीगणों की उपस्थिति में नीचे हस्ताक्षर कर इस घोषणपत्र का निष्पादन करता हूँ।

दिनांक 24/6/2010

स्थान – फरीदाबाद (हरियाणा)

योगिराज ओ३मप्रकाश महाराज
संस्थापक
ओ३म योग संस्थान (न्यास)

M. K. GAUR
Advocate
Distt. Courts, Sec.-12, Faridabad
On Vakalatnama/I Card Attached

C. S. SHARMA
ADVOCATE
Distt. Court, Faridabad

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
4558	2010-2011	1

न्यासकर्ता

न्यासी

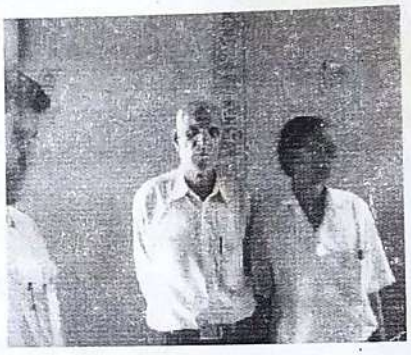

गवाह

न्यासकर्ता
Yogi Raj Om Prakash Settlor

न्यासी
Anil Bansal etc

गवाह 1:- M K Gaur

गवाह 2:- C.S.Sharma

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 4,558 आज दिनाँक 24/06/2010 को बही नः 1 जिल्द नः 2 के पृष्ठ नः 2 पर पँजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द नः 47 के पृष्ठ सख्या 58 से 60 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहो ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये है ।

उप / सयुँक्त पँजीयन अधिकारी
फरीदाबाद

दिनाँक 24/06/2010

Joint Sub Registrar
FARIDABAD